राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :— 88/2010
निर्णय दिनांक :— 05.03.2021

वादी :—

1. बाबुलाल पुत्र हीरारामजी आयु—38 वर्ष जाति—मेघवाल
2. कूपाराम पुत्र खंगारजी आयु—70 वर्ष जाति—मेघवाल
3. राजी पत्नी चुन्नीलाल आयु—70 वर्ष जाति—मेघवाल
4. मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल आयु—27 वर्ष जाति—मेघवाल
5. पंकी पुत्री चुन्नीलाल आयु—30 वर्ष जाति—मेघवाल
6. धनकी पुत्री चुन्नीलाल आयु—25 वर्ष जाति—मेघवाल
   निवासी—सिंदरली, तहसील—देसूरी जिला—पाली, राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. कपूरचद पुत्र दुदिया उर्फ दुदारामजी आयु—28 वर्ष जाति—मेघवाल
2. मन्जु पुत्री दुदिया उर्फ दुदारामजी आयु—30 जाति—मेघवाल
3. खूमीबाई पत्नी दुदिया उर्फ दुदारामजी आयु—65 जाति—मेघवाल
4. मनरूपराम पुत्र चतुर्भुज गर्ग, आयु—45 जाति—मेघवाल
5. पुरूषोत्तम कुमार पुत्र चतुर्भुज गर्ग आयु—42 वर्ष, जाति—मेघवाल
   तमाम् निवासीगण सिंदरली, तहसील—देसूरी जिला—पाली, राजस्थान
6. जगाराम पुत्र खरताराम आयु—45 वर्ष जाति—मेघवाल, निवासी—नाडोल
7. बाबुलाल पुत्र मांगीलाल आयु—25 वर्ष जाति—साटिया, निवासी—नाडोल
8. पेमाराम पुत्र थानारामजी आयु—23 वर्ष जाति—मेघवाल, निवासी—गुडा केशरसिंह
   तहसील—देसूरी जिला—पाली
9. जोधाराम पुत्र चेलारामजी आयु—45 वर्ष, जाति—साटिया, निवासी—रामपुरा की ढाणी
   तहसील—देसूरी जिला—पाली
10. भंवरलाल पुत्र भीकाराम आयु—35 वर्ष जाति—मेघवाल निवासी—जीवंदकला
    तहसील—देसूरी जिला—पाली
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी
12. पटवारी, पटवार हल्का सिंदरली तहसील—देसूरी जिला—पाली

वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:02 IST
Reason: Self Attested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश पेज (2) राजस्व वाद मु0सं0– 88/2010 वादीगण बाबुलाल अन्य बनाम प्रतिवादीगण कपूरचन्द व अन्य अन्तर्गत धारा–88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी.

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश कुमार माली अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री पेाकरलाल परिहार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांकः–05.03.2021**

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण और प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी संख्या 1, 4, 5, 6 के दादा तथा वादी संख्या 2 के पिता खंगार वल्द भगाजी एवम् वादी संख्या 2 कुपा तथा दुदीया, हीरका, वेलीया पुत्रगण खगार मोजा सरहद गांव सिंदरली तहसील–देसूरी जिला–पाली के पुराने खसरा नम्बर 536 रकबा 22 बीघा लगान 13.64 रूपये की कृषि भूमि पर 15 अक्टुम्बर 1955 के पूर्व से ही कब्जा काश्त कर लगान अदा करते आ रहे है जिन्हे अभिधारी के रूप में स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी खंगार वल्द भगाजी एवम वादी संख्या 2 कुपा तथा दुदीया, हीरका, वेलीया, पुत्रगण खंगार को गैर खातेदार दर्ज किया गया। जिसके प्रमाण मे सवत् 2012 से 2018 की खसरा गिरदावरी प्रस्तुत है।

उपरोक्त वर्णित खसरान की आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 773/948 क्षेत्रफल 01.0000 हैक्टर, खसरा नम्बर 774 क्षेत्रफल 0.7200 हैक्टर, खसरा नम्बर 776 क्षेत्रफल 01.5200 हैक्टर बने है।

यह है कि खसरा नम्बर 773/948, 774 कुल क्षेत्रफल 1.7200 हैक्टर की कृषि भूमि वर्तमान में काबिल काश्त पुरानी पडत दर्ज होकर सिवाय चक है तथा खसरा नम्बर 776 क्षेत्रफल 01.5200 हैक्टर की कृषि भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 खातेदारी की दर्ज है अर्थात दोनो अलग अलग खातो में क्रमशः 1, 21 में गलत रूपेण दर्ज है, जबकि उपरोक्त वर्णीत आराजी वादीगण और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की सयुक्त कब्जा काश्त और खातेदारी हक अधिकार की आयी हुई स्थित है।

यह है कि उपरोक्त वर्णीत आराजी अलग अलग खातो में दर्ज होने से खसरा नम्बर 773/948, 774 कुल क्षेत्रफल 1.7200 हैक्टर भूमि में वादीगण को निहित खातेदारी हक अधिकारो बाबत् वाद अलग से प्रस्तुत किया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:02 IST
Reason: Self Attested

यह है कि खसरा नम्बर 776 क्षेत्रफल 01.5200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम लगान 10.64/–रूपये की आराजी में वादीगण को निहीत खातेदारी हक अधिकारों को

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रतिवादीगण के द्वारा चुनौती दी जाकर वादीगण को बेदखल करने की एलानियां धमिकया देने दीराने से वादीगण को वादग्रस्त आराजी में निहित अपने खातेदारी हक अधिकारों और कब्जा काश्त की सुरक्षा बाबत् वाद प्रस्तुत करने के अलावा और कोई सहारा नही होने से वाद में आगे उक्त खसरा नम्बर 776 क्षैत्रफल 01.5200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम लगान 10.64/– रूपये की आराजी को वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया जाकर घोषणा, निषेधाज्ञा आदी बाबत् वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी पर 15 अक्टूम्बर 1955 के पूर्व से ही वादीगण और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 स्वर्गीय खंगारजी, चुन्नीलालजी, वेलाराजी, दुदारामजी, के स्वर्गवास के बाद कब्जा काश्त कर लगान अदा करते आ रहे है, उक्त आराजी संयुक्त और शामलाती चली आ रही है जिसका विभाजन आज से पूर्व कभी किया हुआ नही है, उक्त आराजी में वादीगण को माफिक सजरा खानदान के वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 से 6 को संयुक्त 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 1/4 हिस्सा के खातेदारी हक अधिकार की निहित है, फिर भी वादग्रस्त आराजी के भू अधिकार अभिलेखों कब्जा आदी की जांच किए, बिना विधि विरूद्ध तरीके से और बिना किसी हक अधिकारीता के प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता दुदाराम के नाम से सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी नियमन किये जाने के आदेश किये गये और नामान्तरण दर्ज किया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं वादीगण के हक अधिकारों के विपरीत प्रभाव शून्य और निष्प्रभावी है, जिससे वादग्रस्त आराजी मे वादीगण को निहित खातेदारी हक अधिकारों का खातेदारी घोषीत किया जाने बाबत् यह वाद विरूद्ध प्रतिवादिगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत है।

यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा बिना किसी हक अधिकारिता के वादीगण की बिना अनुमति ज्ञान और जानकारी के उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी के तमाम खातेदारी हक अधिकार नही होने और संपूर्ण आराजी के विक्रय का हक अधिकार नही होने का ज्ञान होने के बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 4 से 10 के हक मे अलग अलग बेचान नामा निष्पादित कर पंजीबद्ध करा दिये हैं जो तमाम 1 से 6 विक्रय विलेख दिनांक 13.07.2010 वादग्रस्त आराजी में वादीगण को निहित हक अधिकारों के विपरित निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, बेअसर, निराधार है, जिनसे प्रतिवादीगण संख्या 4 से 10 को वादीगण के विरूद्ध कोई हक अधिकार निहित नही होते है, वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:02 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अनुसूचित जाति के सदस्य है, जिनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया हैं जो राजस्थान की

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अनुसूचित जाति की सूची में वर्णित अनुसुचित जाति के सदस्य नही है, प्रतिवादी संख्या 5 की जाति गोरा है, जो राजस्थान की अनुसूचि में वर्णित अनुसूचित जाति मे से नही है, जिससे भी विक्रय विधि विरूद्ध और विधि वर्जित है। प्रतिवादी संख्या 4 की जाति गारो वर्णित है जो गलत है, इस जाति वर्ग के लोग इस क्षेत्र मे निवास नही करते है और इनकी जाति गुरू है जो राजस्थान की अनुसूचि में वर्णित अनुसूचित जाति में से नही है, जिससे भी विक्रय विधि विरूद्ध और विधि वर्जित है।

यह है कि वादीगण मुलतः कृषक हैं जो वादग्रस्त आराजी पर खेती व मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है, और प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल कर, आबादी भूमि में दर्ज करवा कर अर्थात कृषि को अकृषि में परिवर्तित कराने की धमकियां दे रहे जिससे वादीगण को वादग्रस्त आराजी में निहित अपने खातेदारी हक अधिकारों की सुरक्षा करने बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा का वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत है।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मौजा सरहद गांव सिन्दरली तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 776 क्षेत्रफल 01.5200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम लगान 10.64/– रूपये वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें, वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 से 6 को 1/4 हिस्सा की जोत का खातेदार घोषित किया जावें। माफिक निर्णय और डिक्री भू अधिकार अभिलेखों में इन्द्राज करावें, वादी को अलग से पास बुक प्रदान करावें। प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी में दखलंदाजी हस्तक्षेप करने, कृषि को अकृषि में परिवर्तन करने से प्रतिवादीगण को रोका जाने की निषेधाज्ञा प्रदान करावें। वाद का खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिरावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 में सम्मन तामील होने के बाबजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गई। रेस्टोरेशन एवम् उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश–6 नियम 17 सीपीसी पेश किया गया। जो दिनांक 28.04.2016 को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर को किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जबाव का अवसर प्रदान किया गया। जिसके बाबजूद भी प्रतिवादी संख्या 1, 11 व 12 द्वारा जबाव पेश नही करने पर जबाव का अवसर बन्द किया गया।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से पत्रावली में तनकीयात कायम नही की गई। पत्रावली शहादत वादी में निहित की गई। वादी की ओर से गवाहा वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.16 19:37:02 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पी.डब्ल्यू–1 बाबुलाल पुत्र हीराराम के बयान लेखबद्ध कराये एवं न्यायालय मे परीक्षित कराये गये एवं इस गवाह द्वारा दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये। प्रतिवादी की तरफ से साक्ष्य पेश नही करना चाहा, अतः शहादत प्रतिवादी का अवसर बन्द किया गया।

बहस वकुलाय की सुनी गई। अभिवक्ता वादीगण द्वारा वाद–पत्र मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए वाद–पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा अभिवक्ता प्रतिवादी ने बहस कर वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य आदि का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रकरण मे पूर्व में तनकियात कायम नही की गई। चूंकि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 92ए के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद लाया गया है जिसे वादी द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण में निर्णय किये जाने हेतु न्यायालय तनकी कायम की जाकर तनकीवार निर्णय किया जाना उचित समझता है अतः निम्नानुसार तनकी कायम की गई।

तनकी संख्या 1 – आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 776 भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4, वादी संख्या 2 का 1/4, वादी संख्या 3 से 6 का 1/4 हिस्से की कृषि भूमि के खातेदारी घोषित किये जाने के अधिकारी होकर भू–अधिकार अभिलेख में इन्द्राज कराये जाने के अधिकारी है....................जिम्मे वादी

तनकी संख्या 2 – आया वादीगण प्रतिवादीगणो के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है....................जिम्मे वादीगण

अतः निर्णय तनकीवार निम्न अनुसार है:–

तनकी संख्या 1 – आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 776 भूमि में वादी संख्या 1 1/4, वादी संख्या 2 1/4, वादी संख्या 3 से 6 1/4 हिस्से की कृषि भूमि के खातेदारी घोषित किये जाने के अधिकारी होकर भू–अधिकार अभिलेख में इन्द्राज कराये जाने के अधिकारी है....................जिम्मे वादी

वादी द्वारा वाद पत्र की ताईद में गवाह पी.डब्ल्यू–1 वादी स्वयं पेश किया गया। जिस पर जिरह शून्य रही। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में नकल गिरदावरी संवत् 2013 से 18 प्रदर्श–1 से 6 व नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 1971 प्रदर्श–7, जमाबन्दी संवत् 2035–38 प्रदर्श–8, जमाबन्दी संवत् 2066–69 प्रदर्श–9, बयान दस्तावेज दिनांक 13.07.2010 की प्रति प्रदर्श–10, जमाबन्दी संवत् 2062–65 प्रदर्श–11 प्रस्तुत किये गये।

पेज लगातार 06 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:02 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजो एवम् गवाहो के बयानो का परीक्षण किया गया। प्रदर्श 1 से 6 नकल गिरदावरी संवत् 2013 से 2018 में यह प्रमाणित है कि पुराना खसरा नम्बर 536 रकबा 22 बीघा खंगार पिता भगा, दूदीया, हीरइया, वेलीया पिता खंगार के नाम गैर खातेदारी दर्ज था। नियमन आदेश क्रमांक 696 दिनांक 15.07.1959 के द्वारा खसरा नम्बर 536 रकबा 8 बीघा भूमि दूदीया पिता खंगार के नाम नियमन की जाकर नामान्तरकरण संख्या 179 दिनांक 25.05.1971 दूदीया के नाम दर्ज किया जो प्रदर्श–7 से प्रमाणित होता है। उक्त नामान्तरकरण की अपील वादीगणो द्वारा नही की गई। वादी द्वारा यहॉ पर स्पष्ट नही किया गया कि पूर्व में गैर खातेदारी 22 बीघा दर्ज थी और नियमन दूदीया के नाम केवल 8 बीघा जमीन ही क्यो हुई। और वादी केवल उक्त 8 बीघा जमीन के संबंध में ही वाद लाये, शेष रकबे के संबंध में वादीगणो द्वारा न्यायालय के समक्ष वस्तुस्थिति स्पष्ट नही की गई।

नामान्तरकरण के पश्चात् जमाबन्दी संवत् 2035–38 में दुदीया पुत्र खंगार प्रतिवादीगण 1 से 3 के पिता के नाम दर्ज हुई जो कि खसरा नम्बर 536 मी रकबा 8 बीघा है जो प्रदर्श–8 से प्रमाणित है। प्रतिवादीगण रिकोर्डेड खातेदार है जो कि जमाबन्दी 2062 से 65 प्रदर्श–11 एवम् जमाबन्दी सवत् 2066–69 प्रदर्श–9 से प्रमाणित है। बेचान दस्तावेज दिनांक 13.07.2010 प्रदर्श–10 है जिसकी वैधता को वादीगणो द्वारा चैलेज नही किया गया है अतः उक्त दस्तावेज आज भी अस्तित्व में है।

अतः पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवम् गवाहो के आधार पर वादी यह सिद्ध नही कर पाया कि पूर्व में गैर खातेदारी वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पिता एवम् दादा के नाम भी 22 बीघा दर्ज थी और उन्हे केवल 8 बीघा ही नियमन हुई जो कि प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज हुई, शेष रकबे का क्या हुआ। राजस्व अधिकारियो द्वारा प्रतिवादीगण के पिता दूदीया के नाम जो नियमन कार्यवाही की गई है वह नियमानुसार ही की गई है। उक्त नियमन को गलत माने जाने के सबंध मे कोई तथ्य वादीगणो द्वारा पेश नही किये गये। एवम् उक्त नियमन के आधार पर ही नामान्तरकरण खोला जाकर प्रतिवादीगणो के पिता दूदिया पुत्र खंगार को खातेदारी दी गई एवम् तद्नुसार प्रतिवादीगण 1 से 3 खातेदार चले आ रहे है, जो कि पूर्णत वैध है। वादीगण विवादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा भी साबित नही कर पाये है। अतः न्यायालय की राय में उक्त तनकी वादीगणो के विरूद्ध निर्णित किया जाना उचित है।

अतः वादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित नही कर पाये अतः वादीगणों के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:02 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 2 – आया वादीगण प्रतिवादीगणो के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है......................जिम्मे वादीगण

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 07 पर...

खातेदारी अधिकारो से संबंधी तनकी नम्बर 1 वादीगणो के विरूद्ध निर्णित की गई। अतः चूंकि वादीगण खातेदार नही है। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी भी नही है। उक्त तनकी वादीगणो के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकी संख्या–1 व 2 का विनिश्चय व निर्णय वादीगण के विरूद्ध मे किये जाने के फलस्वरूप न्यायालय की राय मे वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत है –

–: आदेश :–

अतः वादीगण का यह वाद अन्तर्गत धारा– 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाकर इस आशय की डिक्री सादिर की जाती है कि– मौजा सरहद गांव सिंदरली तहसील–देसूरी जिला–पाली में कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 776 क्षैत्रफल 01.5200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम लगान 10.64/–रूपये की खातेदारी भूमि में वादीगण किसी प्रकार दखल अन्दजी नही करे।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:02 IST
Reason: SelfAttested

वाद में फाईनल डिक्री

(आदेष 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)
इजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर ए एस

वादीगण	**ब ना म** / **प्रतिवादीगण**
1. बाबुलाल पुत्र हीरारामजी आयु–38 वर्ष जाति–मेघवाल 2. कूपाराम पुत्र खंगारजी आयु–70 वर्ष जाति–मेघवाल 3. राजी पत्नी चुन्नीलाल आयु–70 वर्ष जाति–मेघवाल 4. मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल आयु–27 वर्ष जाति–मेघवाल 5. पंकी पुत्री चुन्नीलाल आयु–30 वर्ष जाति–मेघवाल 6. धनकी पुत्री चुन्नीलाल आयु–25 वर्ष जाति–मेघवाल निवासी–सिंदरली, तहसील–देसूरी जिला–पाली, राजस्थान	1. कपूरचद पुत्र दुदिया उर्फ दुदारामजी आयु–28 वर्ष जाति–मेघवाल 2. मन्जु पुत्री दुदिया उर्फ दुदारामजी आयु–30 जाति–मेघवाल 3. खूमीबाई पत्नी दुदिया उर्फ दुदारामजी आयु–65 जाति–मेघवाल 4. मनरूपराम पुत्र चतुर्भुज गर्ग, आयु–45 जाति–मेघवाल 5. पुरूषोत्तम कुमार पुत्र चतुर्भुज गर्ग आयु–42 वर्ष, जाति–मेघवाल तमाम् निवासीगण सिंदरली, तहसील–देसूरी जिला–पाली, राजस्थान 6. जगाराम पुत्र खरताराम आयु–45 वर्ष जाति–मेघवाल, निवासी–नाडोल 7. बाबुलाल पुत्र मांगीलाल आयु–25 वर्ष जाति–साटिया, निवासी–नाडोल 8. पेमाराम पुत्र थानारामजी आयु–23 वर्ष जाति–मेघवाल, निवासी–गुडा केशरसिंह तहसील–देसूरी जिला–पाली 9. जोधाराम पुत्र चेलारामजी आयु–45 वर्ष, जाति–साटिया, निवासी–रामपुरा की ढाणी तहसील–देसूरी जिला–पाली 10. भंवरलाल पुत्र भीकाराम आयु–35 वर्ष जाति–मेघवाल निवासी–जीवंदकला तहसील–देसूरी जिला–पाली 11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी 12. पटवारी पटवार हल्का सिंदरली तहसील–देसूरी जिला–पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:02 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत 88,92ए,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुकदमा नम्बर :– 88 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीगण श्री दिनेश कुमार माली मुदई पोकरलाल परिहार मिनजाविब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का यह वाद अन्तर्गत धारा– 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाकर इस आशय की डिक्री सादिर की जाती है कि– मौजा सरहद गांव सिंदरली तहसील–देसूरी जिला–पाली में कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 776 क्षैत्रफल 01.5200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम लगान 10.64 / –रूपये की खातेदारी भूमि में वादीगण किसी प्रकार दखल अन्दजी नही करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **05** माह **मार्च** सन् **2021** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (मारवाड़)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहन फीस गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मिजान			स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वकालत नामा महनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुल्फरिक मिजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:02 IST
Reason: SelfAttested